जिला कलक्टर
65/2016 श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 65/2016 अनवानी श्री योगेश टेकवाणी निवासी बी–12 थर्ड फलोर, डा0 लोहिया रोड़, आर्दश नगर, दिल्ली बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

03.04.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री योगेश टेकवाणी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री यागेश टेकवाणी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दि0 04.03.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1- Number,Name, Address and Ward allotted to all the PDS shops working in urban area of Sri ganganagar.
2- Certified copy of License of all PDS shops working in Urban area of Sri ganganagar.
3- Detail of inspection done by District Supply Officer, Enforcement officer & Enforcement inspecter of all PDS shops working in Urban area of Sri ganganagar during the period 01/01/2010 to 01/02/2016. Provide certified copy of each inspection report.
4- As mentioned in above points No 3 please provide detail regarding the shortcomings found in the inspection of all PDS shops working in Urban area of Sriganganagar during the period of 01/01/2010 to 01/02/2016. Certified copies file notings please give.
5- As mentioned in above points No 3 & 4 give details of action taken, penalties imposed or any other action taken on the PDS shops inspected during 01/10/2010 to 01/02/2016. Give copy of office orders.
6- Name, post and Address of your first Appeal Authority.

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 3110 दिनांक 05.05.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा जिस प्रारूप में सूचनांए चाही है उस प्रारूप में सूचनांए उनके कार्यालय में संधारित नही है तथा सूचनांए एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। जिस कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 2"च" व 7(9) के तहत खारिज कर समयावधि में आवेदक को पत्र कमांक 1623 दिनांक 31.03.16 से सूचित कर दिया था। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 1623 दिनांक 31.03.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

65/2016

आप द्वारा चाही गई उक्त सूचनांए जिस प्रारूप में चाही है कार्यालय में उस प्रारूप में संधारित नही है। अतः उक्त सूचना के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 "च" में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन ईमेल मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक संविदा,रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने मॉडल, आंकडो संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

इस प्रकार खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नही आता। सूचनायें एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। अतः आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। इस सम्बन्ध मे आपको कोई उज्र हो तो 30 दिवस में प्रथम अपील जिला कलक्टर श्री गंगानगर के न्यायालय में कर सकते है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर या एकत्रित कर नागरिक को ऐसे खोजे गये/एकत्रित कर तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 31.03.2016 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 03.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानो राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर